न्यायालयअतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 24/2024

बाबुलाल वल्द केवलराम माली
बनाम
राजस्थान राज्य वगैरा

दिनांक 12.01.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर (जोधपुर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 294/2022 (2022/408) में पारित आदेश दिनांक 21.06.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत अपील प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 3–प्रार्थी–लिछमणराम ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील एवं ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 1243/3 रकबा 0.4935 हैक्टर, तरमीमसुदा, काबिज काश्त व खातेदारी कृषि भूमि के चारो ओर मुटाम कायम कर पत्थरगढी करवाने का आग्रह किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़शहर को वादग्रस्त खसरान की भूमि का टीम गठित कर, नापचौप एवं सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान के सीमा कायम करते हुए पैमाईश करवाकर पत्थरगढी करवाने हेतु आदेशित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट–बाबुलाल ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय श0प0 तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार कर, प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि आलौच्य आदेश से पूर्व इस प्रकरण में खसरा नम्बर 1243 एवं 1243/1, 1243/2, 1243/3, 1243/4, 1243/5, 1243/6, 1243/7 व 1243/8 की तरमीम को लेकर

विवाद हुआ था, उस समय मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, परन्तु तरमीम बाबत कोई आदेश पारित नही हुआ। ख0नं0 1243 वर्तमान में जहां तरमीमसुदा है, वहां अवस्थित नही है, जिसका खुलासा भूमिधारी द्वारा नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पडौसी खातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया, जिससे वास्तविक स्थिति प्रकट नही हुई। अपीलांट ख0नं0 1243 में से 9.14 बीघा भूमि का खरीददार है। प्रार्थी का कथन है कि उसे सीमाओं का ज्ञान दिनांक 30.05.2022 को हो गया एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 14.11.2022 को प्रस्तुत किया गया, जबकि धारा 111 व 128 आरएलआर एक्ट में तीन माह की समय सीमा निर्धारित है। वादग्रस्त खसरान में यदि कोई अतिक्रमण है, तो उसे बेदखली के वाद के जरिये ही हटाया जा सकता है। अपीलाधीन आदेश के जरिये गलत तरमीम की पुष्टि हेतु सीमांकन का आदेश पारित किया गया है, जबकि सीमांकन बाबत प्रार्थी की कोई इस्तदुआ ही नही है। बिना विवाद की स्थिति में सीमाज्ञान करवाने का क्षेत्राधिकार संबंधित तहसीलदार को है, प्रकरण में यदि विवाद है तो संबंधित पक्षों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, उक्त बिन्दुओं पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील स्वीकार कर, अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में बेचान लेखपत्र हरिप्रसाद बहक बाबूलाल, न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश, जोधपुर द्वारा राज0 सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत संयुक्त अपीलों में पारित आदेश दिनांक 19.5.76 तथा ख0नं0 1243 एवं इसके सभी बट्टा नम्बरों की मौका स्थिति एवं तरमीम जांच हेतु मौका फर्द दिनांक 30.03.2021 की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गई।

जवाब में रेस्पो0सं0 3–प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो–प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ग्राम पीपाड़शहर के ख0नं0 1243/3 की खातेदारी, कब्जासुदा व तरमीमसुदा भूमि के चारो ओर मुटाम लगाकर, पत्थरगढी करवाने हेतु आग्रह किया गया था। जिसका सीमाज्ञान दिनांक 30.05.2022 को करवाया जा चुका है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.23 के विरूद्ध हस्तगत अपील 15.01.24 को गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है, जो मियाद बहार है तथा इसमें अपीलार्थी हितबद्ध पक्षकार नही है। ख0नं0 1241, 1242 व 1243 कुल रकबा 139.08 बीघा भूमि हरिप्रसाद द्वारा सिलिंग अधिग्रहण से पूर्व

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

हस्तांतरित हो चुकी है। जिसमें ख0नं0 1243 में से 4.08 बीघा भूमि अधिग्रहण का आदेश अति0 जिलाधीश जोधपुर द्वारा दिया गया। अपीलाधीन आदेश पारित होने के उपरांत अपीलांट–बाबुलाल ने "तरमीम शुद्ध करवाने एवं राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 294/2022 के संबंध में तहसीलदार पीपाड़ शहर के आदेश दिनांक 11.02.25 की अनुपालना में हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसमें उल्लेख है "कि अपीलांट ख0नं0 1243 में से 9.14 बीघा का खरीददार होना बता रहा है, जबकि उक्त खसरान की भूमि हरिप्रसाद की खातेदारी में दर्ज है, उक्त खसरे में सीमांकन एवं पत्थरगढी का स्थगन होने से सीमांकन एवं पत्थरगढी संभव नही है", इसके संलग्न मौका फर्द दिनांक 15.04.25 नक्शें में प्रदर्शित ABCD को रेस्पो0 के ख0नं0 1243/3 का भाग होना बताते हुए इस पर अपीलांट–बाबुलाल का कब्जाकाश्त होना बताया गया है। इस प्रकार अपीलांट का उक्त खसरान में हक/हिस्सा अथवा खातेदारी दर्ज नही होने से उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। अतः अपील खारिज कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में फार्म नं0 3 के संलग्न उल्लेखित दस्तावेजों की प्रतियां तथा अपीलांट के तरमीम शुद्धि प्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार पीपाड़शहर को प्रेषित रिपोर्ट की छायाप्रति प्रस्तुत की गई।

रेस्पो0सं0 1 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया गया। प्रकट तथ्यों के आधार पर आलौच्य प्रकरण में वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 30.03.2021 बाबत ख0नं0 1243 एवं इसके बट्टा नम्बरों की मौका स्थिति एवं तरमीम जांच की छायाप्रति प्रस्तुत की गई, जिसमें ख0नं0 1243/2 एवं 1243/3 की तरमीम शुद्धि प्रस्तावित की गई है, वकील अपीलांट का कथन है कि इसमें तरमीम शुद्धि का कोई आदेश पारित नही किया गया, जबकि प्रार्थी–रेस्पो0सं0 3 के आवेदन के संलग्न ऑनलाईन भू–नक्शा दिनांक 11.11.2022 तद्नुसार है। इसके विपरित अपीलांट–बाबुलाल द्वारा "तरमीम शुद्ध करवाने एवं राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 294/2022 के संबंध में तहसीलदार पीपाड़ शहर के आदेश दिनांक 11.02.25 की अनुपालना में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द दिनांक 15.04.25 के नक्शें में प्रदर्शित ABCD को रेस्पो0 के ख0नं0 1243/3 का भाग होना बताते हुए, इस पर अपीलांट–बाबुलाल का कब्जाकाश्त होना बताया गया है, जिसके प्रतिरक्षण हेतु अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः उक्त मौका रिपोर्ट्स के अवलोकन से यह तय करना मुश्किल है कि मौका फर्द दिनांक 30.03.21 तथा 15.04.25 में से कौनसी सही है। इसके अलावा आलौच्य प्रकरण में अप्रार्थी सं0 1–तहसीलदार पीपाड़शहर के जवाब/रिपोर्ट का अभाव पाया गया, जो कि विधि अनुसार आवश्यक है। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर (जोधपुर) द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 294/2022 (2022/408) में पारित आदेश दिनांक 21.06.2023 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाधीन खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध खातेदारान/सह–खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 12-1-26 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

12/1/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर
जोधपुर